श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर इन्दौर कैम्प

C.F. 17-6-14

R-1594-PBR-14

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 76

पेशी दिनांक :

1. कमलसिंह पिता श्री फत्तुजी
   निवासी – कटघड़ा
2. बाबू पिता तुकारामजी
   निवासी – नावघाटखेडी
3. पवन पिता श्री काशीराम
   निवासी – नावघाटखेडी

... निगरानीकर्तागण

श्री मुकेश तोड़ अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 21.5.14 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत। 21.5.14

विरूद्ध

ग्रामवासी मेहताखेडी
निवासी – मेहताखेडी तहसील बडवाह
जिला खरगोन

... प्रत्यर्थी

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

21.5.14

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 215/13–14/अपील मे पारित आदेश दिनांक 02/04/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण के बिना रेकार्ड बुलाए सत्य स्थिती को जांचे बगैर, प्रारंभिक सुनवाई की स्थिती मे ही प्रचलन योग्य

... 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1594-पीबीआर/14 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक ग्राम मेहताखेडी के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम नावघाटखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 7/2, 6/2 एवं 5/2 पर 100 वर्ष पुराने रास्ते को आवेदक पक्ष द्वारा अवरूद्ध किये प्रश्नाधीन रास्ते को खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार, बड़वाह के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-13/12-13 दर्ज कर आदेश दिनांक 24-5-13 द्वारा तत्कालीन तहसीलदार के पूर्व आदेश दिनांक 14-9-49 का क्रियान्वयन किये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बड़वाह के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20-2-14 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वतीय अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा दिनांक 2-4-14 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदकगण द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 24-5-13 को तत्कालीन तहसीलदार के पूर्व आदेश के क्रियान्वयन का आदेश दिया है । तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी यथावत रखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त द्वारा प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह्य की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	